I/22069/2023

Phone & Fax no. 0135-2658294 *E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in*

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/140350/2021 उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत रा0रा0–7, झाझरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे, (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000) आशारोड़ी तक भाग के 4–लेन ग्रीनफील्ड रोड कनेक्टिविटी हेतु 20.0849 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में।**

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून ने अपने कार्यालय पत्रांक 3668/12–1 दिनांक 10.05.2023 से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव विधिवत परीक्षण कर हार्ड कॉपी सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित प्रत्यावेदन में देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के आसारोड़ी रेंज की **19.6972 है0 आरक्षित** एवं **0.3877 है0 सिविल (धारा–4**) **कुल 20.0849 है0** वन भूमि प्रभावित होगी। प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वन भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 6574 तथा नाप भूमि में 261 **कुल 6835 वृक्ष** प्रभावित होंगे, जिनका पातन किया जाना होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का दिनांक 27.03.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव मूल 03 प्रतियों के संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक :– प्रस्ताव 03 प्रतियों में।

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक / तद्दिनांकित
प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

Generated from eOffice by JAMUNA PRASAD BHATT, SAO-JPBHATT, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 19/05/2023 11:14 am

I/22069/2023

प्रपत्र–2.2

भाग–III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

P.No.- FP/UK/ROAD/140350/2021

14–	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15–	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत
16–	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में उचित/प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या के आधार पर संस्तुति की जाती है।

तिथि– 17.05.2023

स्थान– देहरादून

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम (**राजीव धीमान**)

सरकारी मोहर

Generated from eOffice by JAMUNA PRASAD BHATT, SAO-JPBHATT, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 19/05/2023 11:14 am